

अध्याय-I

राज्य सरकार का वित्त

1.1 प्रस्तावना

बिहार भू-भाग से घिरा एक ऐसा राज्य है, जिसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखण्ड तथा उत्तर में नेपाल से सटे लम्बी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भौगोलिक आकार (94163 वर्ग किमी⁰) के दृष्टिकोण से यह भारत का बारहवाँ तथा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 के सं० 30) के अंतर्गत संयुक्त बिहार को पुनर्गठित किया गया तथा संयुक्त बिहार के 18 जिलों¹ से बने एक नवीन राज्य झारखण्ड को 15 नवम्बर 2000 में गठित किया गया। वर्तमान समय में बिहार में 38 जिले² हैं। इस द्विभाजन के फलस्वरूप, पहले बिहार की सम्पत्ति तथा देयता का अनुभाजन उक्त दिन से ही प्रभावी होना था क्योंकि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के संदर्भ में अन्य आर्थिक समायोजन भी किये जाने थे। तथापि जैसा कि 2009-10 के आर्थिक लेखों के परिशिष्ट XII में दर्शाया गया कि 31 मार्च 2010 तक के सामाजिक क्षेत्र तथा आर्थिक क्षेत्र के पूंजी लेखा समेत नौ मद तथा ऋण एवं अग्रिम राशि का समायोजन लंबित था।

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है, तथा राज्य के पास कोई महत्वपूर्ण खनिज सम्पदा नहीं है। जैसा कि परिशिष्ट 1.1 में दर्शाया गया है कि बिहार की गरीबी रेखा (41.4 प्रतिशत) संपूर्ण भारत के औसत (27.5 प्रतिशत) से अधिक है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व (880 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी०) संपूर्ण भारत के जनसंख्या घनत्व (325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी०) से अधिक थी। विगत दशक में इस राज्य में निम्न आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है जैसे कि इसका वर्ष 2000-01 से 2008-09 तक का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मिश्रित वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) 12.08 रहा है जबकि इसकी तुलना में अन्य सामान्य दर्जे के राज्यों का विकास दर 12.54 प्रतिशत रहा। इस अवधि के दौरान इसकी जनसंख्या में 15.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि अन्य सामान्य दर्जे के राज्यों का वृद्धि प्रतिशत दर 13.42 था, जो यह प्रदर्शित करता है कि वर्तमान दशक में बिहार का प्रति व्यक्ति आय दूसरे सामान्य दर्जे के राज्यों से अत्यंत निम्न रहा है।

1.1.1 चालू वर्ष का वित्तीय लेन-देन का सारांश

तालिका 1.1 में चालू वर्ष (2009-10) तथा विगत वर्ष के दौरान राज्य सरकार के वित्तीय क्षेत्र लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत किया गया है। परिशिष्ट 1.2 में चालू वर्ष के दौरान विस्तृत प्राप्तियों एवं संवितरणों तथा संपूर्ण वित्तीय स्थिति को दिखाया गया है।

¹ बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरीडीह, गोडा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, राँची, साहेबगंज, सिंहभूमि (पूर्व) एवं सिंहभूमि (पश्चिम)

² अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बाँका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली और पश्चिम चंपारण

तालिका 1.1: चालू वर्ष का वित्तीय संचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

2008-09	प्राप्तियाँ	2009-10	2008-09	संवितरण	2009-10		
खण्ड-क राजस्व					गैर योजना	योजना	कुल
32980.69	राजस्व प्राप्तियाँ	35526.83	28511.58	राजस्व व्यय	24145.38	8438.79	32584.17
6172.74	कर राजस्व	8089.67	10529.51	सामान्य	11850.99	351.36	12202.35
1153.32	करेतर	1670.42	12252.10	सामाजिक	8046.11	5140.30	13186.41
17692.51	संघीय कर/शुल्कों का अंश	18202.58	5726.01	आर्थिक सेवाएँ	4140.82	2947.13	7087.95
7962.12	भारत सरकार से अनुदान	7564.16	3.96	सहायता अनुदान अंशदान	107.46	0.00	107.46
खण्ड-ख पूँजीगत							
0.00	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	6436.35	पूँजीगत परिव्यय	63.97	7268.12	7332.09
11.32	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	13.20	551.05	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	409.51	487.27	896.78
5927.89	लोक ऋण प्राप्तियाँ*	6134.39	1682.28	लोक ऋण की अदायगियाँ	**	**	1982.99
0.00	आकरिमकता निधि	0.00	0.00	आकरिमकता	**	**	0.00
16941.02	लोक लेखा प्राप्तियाँ	15303.39	17310.63	लोक लेखा संवितरण	**	**	15447.74
2188.06	आरंभिक नकद शेष	3557.09	3557.09	अंतिम नकद शेष	*	*	2291.13
58048.98	कुल	60534.90	58048.98	कुल			60534.90

(स्रोत: बिहार सरकार के वित्तीय लेखा 2008-09 एवं 2009-10)

*अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट शुद्ध लेन-देन को छोड़कर

**योजना एवं गैर योजना के द्विभाजन संघारित नहीं।

वर्ष 2009-10 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जो निम्नांकित हैं:-

- पूर्व वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2546 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि हुई, यह वृद्धि मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व (₹ 1917 करोड़), करेतर राजस्व (₹ 517 करोड़), एवं संघीय करों का अंशदान (₹ 510 करोड़) तथा भारत सरकार से अनुदान ₹398 करोड़ के कारण हुई।
- वर्ष 2008-09 से 2009-10 तक राज्य के कर राजस्व में ₹ 6173 करोड़ से ₹ 8090 करोड़ की वृद्धि (31 प्रतिशत) हुई। वर्ष के दौरान कर प्राप्तियों से राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतता में 2008-09 के 19 से 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- पूर्व वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में ₹4073 करोड़ की वृद्धि हुई जो मुख्यतः सामान्य सेवाएँ (₹1673 करोड़), सामाजिक सेवाएँ (₹934 करोड़)

आर्थिक सेवाएँ (₹1362 करोड़) तथा सहायता अनुदान एवं अंशदान (₹104 करोड़) के व्यय में वृद्धि के कारण हुई।

- योजना एवं गैर योजना व्यय के संदर्भ में इस वर्ष के दौरान गैर योजना व्यय में (राजस्व एवं पूँजी) ₹2934 करोड़ तथा योजना व्यय में ₹2380 करोड़ की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय का 87.05 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों तथा शेष पूँजीगत प्राप्ति एवं ग्रहीत निधि से किया गया।
- जबकि सामाजिक सेवाओं में वृद्धि आठ प्रतिशत दर्ज की गई, आर्थिक सेवाओं में 24 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।
- पूर्व वर्ष की तुलना में परिसम्पत्तियों के निर्माण में पूँजीगत व्यय में ₹896 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरण में क्रमशः ₹1638 करोड़ (10 प्रतिशत) तथा ₹1863 करोड़ (11 प्रतिशत) की कमी आई जिसके कारण लोक लेखा के निवल प्राप्तियों में इस वर्ष के दौरान ₹144 करोड़ की कमी आई।
- इन लेन-देनों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अंत में नगद शेष के रूप में पूर्व वर्ष से ₹1266 करोड़ की क्षति हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा


बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) अधिनियम 2006 के अनुसार राजस्व घाटा राज्य सरकार को वर्ष 2008-09 के अंत तक समाप्त करना था और राजकोषीय घाटा को वर्ष 2008-09 तक राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के तीन प्रतिशत के अंतर्गत रखना था। इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है। तथापि राजकोषीय घाटा निर्धारित मानक से वित्तीय वर्ष 2008-10 में जी.एस.डी.पी. का 3.5 प्रतिशत बढ़ा था।

राज्य के वित्तीय लेखाओं की लेखा परीक्षा यह प्रदर्शित करती है कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार राजस्व घाटा की समाप्ति को प्राप्त किया तथा राज्य के राजस्व में वर्ष 2005-10 के दौरान वृद्धि हुई। वर्ष 2009-10 के दौरान वित्तीय घाटा 3.40 प्रतिशत रहा जो कि बारहवें वित्त आयोग के संशोधित मानक के अंतर्गत था।

1.1.3 बजट विश्लेषण

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट राजस्व प्राप्ति अनुमान एवं वित्तीय वर्ष के अंतर्गत होने वाले व्यय का विवरण प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण साधन है। अतः यह आवश्यक है कि समुचित एवं प्रभावी आर्थिक प्रबंधन के लिए बजट दस्तावेज राज्य के राजस्व एवं व्यय का सही आकलन प्रस्तुत करे। बजट अनुमान से विचलन राजकोषीय उद्देश्यों को नहीं प्राप्त करने एवं आशा के विपरीत परिणामों की ओर इंगित करता है। ऐसा विभिन्न कारणों से होता है, जिसमें कुछ सरकार के नियंत्रणाधीन और कुछ सरकार के नियंत्रण के बाहर होते हैं।

चार्ट 1.1 बजट अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 के चुने हुए राजकोषीय बिन्दु के वास्तविक व्यय को प्रदर्शित करता है।



चार्ट 1.1 के आँकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि करेक्टर राजस्व के अलावा वास्तविकता अनुमान से काफी नीचे था जो यह इंगित करता है कि या तो असंगत ये अथवा वित्तीय वर्ष में किये गये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने समुचित कदम नहीं उठाये। यह भी प्रदर्शित होता है कि उपलब्धता होने के बावजूद भी सरकार द्वारा निधि के समुचित व्यय करने में अपर्याप्त प्रयास किये गये। यह भी देखा गया कि:-

- करेक्टर राजस्व अनुमान से 309 प्रतिशत बढ़कर था। यह मुख्यतः सामान्य सेवाएँ-विविध-सामान्य सचिवालय अन्य सेवाएँ एवं ब्याज भुगतान के अंतर्गत था जहाँ वास्तविक प्राप्तियाँ ₹ 807 करोड़ तथा ₹ 355 करोड़ थी जबकि अनुमान क्रमशः ₹ 159 करोड़ तथा ₹ 54 करोड़ था।
- राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय अनुमान की तुलना में क्रमशः ₹ 6310 करोड़ तथा ₹ 3131 करोड़ कम थे। पूँजीगत व्यय अनुमान से ₹ 4399 करोड़ (37 प्रतिशत) कम रहा जो पूँजीगत कार्यों के लिए निधि के संविलियन में कटिनाई दर्शाता है।
- राजस्व अधिशेष तथा आरंभिक अधिशेष³ बजट अनुमान से कम थे। राजस्व अधिशेष बजट अनुमान से ₹ 3179 करोड़ (52 प्रतिशत) कम था; राजकोषीय घाटा ₹ 1577 करोड़ (43 प्रतिशत) बढ़ा जहाँ आरंभिक अधिशेष में अनुमान के विरुद्ध ₹ 2062 करोड़ (435 प्रतिशत) की कमी आयी जिससे ₹ 1588 करोड़ का प्रारंभिक घाटा हुआ।


³ आरंभिक आधिक्य = राजकोषीय घाटा/आधिक्य - ब्याज की अदायगी


1.2 राज्य का स्रोत

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के स्रोत

राज्य सरकार के राजस्व स्रोत के दो भाग हैं: पूँजी तथा राजस्व। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि निवेश से प्राप्ति, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/व्यवसायिक बैंको से कर्ज) से प्राप्तियाँ वाणिज्यिक एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा से संभूति द्वारा प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। दूसरी ओर राजस्व प्राप्तियाँ में राज्य सरकार के अपने कर एवं करेत्तर राजस्व, संघीय कर में राज्य की भागीदारी एवं भारत सरकार से प्राप्त कर एवं अनुदान शामिल हैं।

चार्ट 1.2 वर्ष 2005-10 के दौरान राज्य के प्राप्ति के विभिन्न अवयवों प्रवृत्ति और चार्ट 1.3 2009-2010 के दौरान राज्य के इन प्राप्ति के संरचना को प्रदर्शित करता है।





चार्ट संख्या 1.2 तथा 1.3 प्रदर्शित करते हैं कि:

- पिछले वर्ष की अपेक्षा राज्य के कुल स्रोत में ₹ 1117 करोड़ (दो प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण ₹ 2546 करोड़ (आठ प्रतिशत) राजस्व प्राप्तियाँ एवं ₹ 209 करोड़ (चार प्रतिशत) पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि थी। हालाँकि लोक लेखा प्राप्तियों में ₹ 1638 करोड़ (दस प्रतिशत) की कमी थी।
- केन्द्र सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम राशि में पिछले वर्ष ₹ 614 करोड़ बढ़ोतरी के कारण इस वर्ष के दौरान आंतरिक कर्ज में ₹ 408 करोड़ की कमी हुई। जिस कारण पिछले वर्ष से लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 207 करोड़ (3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधियों का हस्तांतरण


भारत सरकार द्वारा वर्ष के दौरान निधियों का बड़ा अंश विभिन्न जटिल सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों⁴ को हस्तांतरण कर दिया जाता है। चूँकि ये निधियाँ राज्य बजट एवं कोषागार से होकर व्यय नहीं की जाती हैं अतः वार्षिक वित्त लेखा इन निधियों के प्रवाह को नहीं दर्शाता है इस प्रकार राज्य की प्राप्तियाँ एवं व्यय, अन्य वित्तीय परिवर्तनशीलता तथा साथ-साथ उससे निकलकर आने वाले परिचालिका को कम कर आंका जाता है। कुल निधियों की उपलब्धता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे निधियों का हस्तांतरण परिशिष्ट 1.3 में दिखाया गया है।


⁴ राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों में कोई भी संगठन/संस्थाएं, जैसे अर्ध सरकारी संस्थाएं शामिल हैं जो राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से, राज्य में विशेष कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति आदि निधि प्राप्त करने के लिए मान्य हैं।

जैसा कि परिशिष्ट 1.3 से प्रमाणिक है कि राज्य बजट के बाहर केन्द्रीय निधि प्राप्तियाँ ₹ 5182.20 थी जिसके विरुद्ध पिछले वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ ₹ 6435 करोड़ थी। राज्य बजट के बाहर केन्द्रीय निधि (प्राप्ति एवं व्यय) की प्रतिशतता में चालू वर्ष के 12.43 प्रतिशत तथा 12.11 प्रतिशत से क्रमशः गत वर्ष 2008-09 के 16.53 तथा 17.31 प्रतिशत की कमी आई।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखा का विवरण-11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करती है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का अपना कर एवं करेतर राजस्व केन्द्रीय कर का हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2005-10 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की संरचना एवं प्रवृत्ति को परिशिष्ट 1.4 एवं क्रमशः चार्ट 1.4 एवं 1.5 में भी दर्शाया गया है।





राज्यों के अपने कर/करेत्तर राजस्व में वृद्धि के उत्तरदायी कारक चार्ट 1.4 तथा 1.5 में प्रदर्शित किये गए।

- राज्य के अपने कर राजस्व में 1917 करोड़ वृद्धि, पिछले वर्ष की तुलना में मूलतः बिक्री एवं व्यापार कर आदि ₹ 823 करोड़ (27 प्रतिशत), राज्य उत्पाद ₹ 403 करोड़ (59 प्रतिशत), माल एवं यात्री कर ₹ 334 करोड़ (26 प्रतिशत) और मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क ₹ 282 करोड़ (39 प्रतिशत) मदों में हुई।
- करेत्तर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 517 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण विविध सामान्य सेवाएँ ₹ 384 करोड़ (100 प्रतिशत), अलौह खनन एवं घातुकर्म उद्योग ₹ 75 करोड़ (31 प्रतिशत) तथा ऋण ₹ 49 करोड़ (16 प्रतिशत) थी।

प्रवृत्ति को राज्य सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों को तालिका 1.2 में दिखलाया गया है।

तालिका 1.2 राज्य सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
राजस्व प्राप्तियाँ (आर आर) (₹ करोड़ में)	17837	23083	28210	32981	35527
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.51	29.41	22.21	16.91	7.72
आर आर/जी०एस०डी०पी० (प्रतिशत)	22.47	23.18	24.61	23.14	22.91
उत्पलवता अनुपात ⁵					
राजस्व उत्पलवता संदर्भ में जी०एस०डी०पी०	1.74	1.16	1.47	0.70	0.88
राज्य के निजी कर उत्पलवता जी०एस०डी०पी० के संदर्भ में	0.82	0.52	1.73	0.88	3.53

(स्रोत: बिहार सरकार का वित्त लेखा)

तालिका 1.2 से यह स्पष्ट है कि जी एस पी डी के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों की उत्पलवता में वर्ष 2005-06 में 1.74 प्रतिशत से वर्ष 2009-10 में 0.88 तक की कमी आई, वह भी गत वर्ष के 0.18 प्रतिशत वृद्धि के बाद।

वर्ष 2005-09 की अवधि के दौरान जी० एस० डी० पी० के संदर्भ में राज्य का अपना कर उत्पलवता 0.52 से 1.73 प्रतिशत के बीच रहा परन्तु 2009-10 के दौरान 3.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का मुख्य कारण कर अनुवृति में सुधार तथा राज्य सरकार द्वारा राजस्व क्षति होने के कारणों को चिन्हित करने हेतु उठाये गये ठोस कदम थे।

1.3.1 राज्य का निजी स्रोत

टी एफ सी द्वारा बनाये गए विनियामक परियोजना के विरुद्ध, हालाँकि टी एफ सी की परियोजना (₹ 1618 करोड़) में करेत्तर कर में 52 करोड़ की वृद्धि हुई, टीएफसी के ₹ 8240 करोड़ के परियोजना के विरुद्ध राज्य का अपना कर वसूली ₹ 8090 करोड़ था जिससे ₹ 150 करोड़ की क्षति हुई। अधिनिर्णय अवधि (2005-10) के दौरान राज्य का अपना कर राजस्व वसूली केवल ₹ 26943 करोड़ था जबकि प्रयोजित ₹ 32648 करोड़ था तथा करेत्तर राजस्व ₹ 4382 करोड़ था जबकि प्रयोजित ₹ 5890 करोड़ था। परिणामस्वरूप राज्य का अपना राजस्व वसूली टी एफ सी प्रेक्षण मानक के विरुद्ध ₹ 7213 करोड़ कम था हालाँकि इसमें राज्य के निजी प्रक्षेपण राजकोषीय सुधार पथ (एफ सी पी) को बढ़ाया।

1.3.2 संग्रहण की लागत

तालिका 1.3 वर्ष 2008-09 से 2009-10 के दौरान वृहद कर राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण, संग्रहण में व्यय तथा ऐसे व्यय के प्रतिशतता से सकल संग्रहण साथ ही 2008-09 के प्रासंगिक संपूर्ण भारत औसत को प्रदर्शित करता है।

⁵ उत्पलवता अनुपात आधार परिवर्तनीयता में परिवर्तन के आधार पर वित्तीय परिवर्तनीयता के सापेक्षता एवं अवस्था के प्रतिक्रियाशीलता को दर्शाता है उदाहरण के लिए राजस्व उत्पलवता 0.6 हो तो राजस्व प्राप्तियों में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है यदि जीएसडीपी में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है।

तालिका 1.3: संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य राजस्व	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण में व्यय	सकल संग्रहण व्यय की प्रतिशतता	2008-09 की संपूर्ण भारत औसत प्रतिशतता
1.	वाणिज्यिक कर*	2008-09	4,377.92	46.67	1.07	0.88
		2009-10	5,541.00	48.84	0.88	
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2008-09	679.14	24.15	3.56	3.66
		2009-10	1,081.68	44.02	4.07	
3.	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	2008-09	716.19	37.68	5.26	2.77
		2009-10	997.90	45.90	4.60	
4.	वाहन कर	2008-09	297.74	6.95	2.33	2.93
		2009-10	345.13	10.41	3.02	

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2008-09 के दौरान सम्पूर्ण भारत औसत प्रतिशतता की तुलना में राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर के अलावा सभी कर संग्रहण में अधिक व्यय किया।

1.3.3 बजट अनुमान तथा वास्तविक वसूली में भिन्नता

कर एवं करेत्तर राजस्व बजट अनुमान एवं वास्तविक वसूली राशि में वृहद भिन्नता थी जो यह प्रदर्शित करती है कि बजट अनुमान की तैयारी सामान्य ढंग से बिना किसी यथार्थ विचार के की गई। परिशिष्ट 1.5 में बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता में वृद्धि/कमी को दिखाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में वर्ष के प्रारंभ एवं अंत में वापसी के लंबित मामले की स्थिति तालिका 1.4 में दिखाया गया है।

* वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सकल संग्रहण में बिक्री कर/वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) माल तथा यात्री पर कर, स्थानीय क्षेत्रों में माल प्रवेश कर, विद्युत कर तथा शुल्क एवं अन्य वस्तु एवं सेवा कर व शुल्क

तालिका 1.4: विभागवार वापसी के लंबित मामले की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विवरण	बिक्री कर		स्थानीय क्षेत्र में मालों के प्रवेश पर कर		मनोरंजन कर	
		मामलों की सं०	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की सं०	राशि
1.	वर्ष 2008-09 के अंत में बकाया दावा	2030	48.18	6	0.50	5	नगण्य
2.	वर्ष 2009-10 के प्रारंभ में बकाया दावा	1803	45.87	1	0.29	शून्य	शून्य
3.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावा	475	67.56	100	1.80	4	0.03
4.	वर्ष के दौरान वापसी	165	19.85	3	1.12	3	0.01
5.	वर्ष के अंत में शेष बकाया	2113	93.58	98	0.97	1	0.02

(स्रोत: वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार) * ₹ 0.12 लाख

यह भी अवलोकन किया गया कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रतिवेदन दिया गया कि बिक्री कर, स्थानीय क्षेत्र में मालों के प्रवेश पर कर तथा मनोरंजन कर के संबंध में सूचित आरंभिक शेष, विभाग तथा वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) द्वारा सूचित अंतिम शेष से भिन्न थे।

1.3.4 राजस्व बकाया


राजस्व के मुख्य शीर्ष में (सात विभागों द्वारा सूचित) 31 मार्च 2010 को राजस्व बकाया ₹ 1922.69 करोड़ थे जिसमें ₹ 396.59 करोड़ पाँच वर्ष से ज्यादा समय से लंबित थे (परिशिष्ट 1.6)। 31 मार्च 2010 के अंत तक अन्य विभागों (भूमि राजस्व, राज्य उत्पाद इत्यादि) से संबंधित राजस्व बकाया की स्थिति (अक्टूबर 2010) नहीं दिये गये । मई एवं अगस्त 2010 के बीच बार-बार इसके लिए आग्रह किया गया था ।

1.4 संसाधनों का उपयोग


राज्य स्तर पर व्यय के विनिधान का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि व्यय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें ही सुपुर्द है। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्य स्तर पर जारी वित्तीय सुधार एवं सुदृढीकरण की प्रक्रिया सरकारी स्तर पर किये जाने वाले व्यय की कीमत पर न हो विशेष कर वैसा जो विकास एवं सामाजिक क्षेत्र में होने वाले व्यय से हो।

1.4.1 व्यय की संरचना एवं विकास

चार्ट 1.6 वर्ष 2005-10 के दौरान कुल व्यय को प्रदर्शित करता है। आर्थिक वर्गीकरण एवं क्रियाकलापों के आधार पर व्यय के संबंध में उसकी संरचना को क्रमशः चार्ट 1.7 तथा 1.8 में दिखाया गया है।




- चार्ट 1.6 प्रदर्शित करता है कि राज्य का कुल व्यय वर्ष 2005-06 के ₹21588 करोड़ की तुलना में बढ़कर वर्ष 2009-10 में ₹40813 करोड़ हो गया। चालू वर्ष में कुल व्यय में पूर्व वर्ष की अपेक्षा ₹5314 करोड़ की वृद्धि हुई जिससे राजस्व व्यय ₹4073 करोड़ (14 प्रतिशत) एवं पूँजीगत व्यय, ऋण एवं अधिमों के संवितरणों को मिलाकर ₹1242 करोड़ (18 प्रतिशत) था।
- हाल के वर्षों में, बिहार के जी एस डी पी का विकास दर काफी उँचा रहा, जिसके चलते चालू वर्ष में कुल व्यय से जी एस डी पी का उत्पलवता 0.59 रहा।
- गैर योजना राजस्व व्यय (एन पी आर ई) जो ₹24145 करोड़ था न सिर्फ बारहवें वित्त आयोग के मानक प्रक्षेपण (₹19989 करोड़) से ₹4156 करोड़ (21 प्रतिशत) ज्यादा था बल्कि राजकोषीय सुधार पथ (₹22357 करोड़) से ₹1788 करोड़ (8 प्रतिशत) अधिक था। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष में बजट अनुमान ₹28019 करोड़ से ₹3874 करोड़ (14 प्रतिशत) कम था।



चार्ट 1.7 एवं लेखा परीक्षा जाँच के क्रम में पाया गया कि:

- मुख्य रूप से राजस्व व्यय में वृद्धि शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति (₹ 710 करोड़), ग्रामीण विकास (₹571 करोड़) कृषि एवं उससे संबंधित कार्यक्रम (₹231 करोड़), यातायात (₹197 करोड़), स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (₹195 करोड़), सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण (₹193 करोड़) एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण (₹172 करोड़), सामान्य सेवाओं में ₹1673 करोड़ के अतिरिक्त हुई।
- मुख्य रूप से पूँजीगत व्यय में वृद्धि यातायात (₹595 करोड़), जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास (₹278 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹208 करोड़) तथा शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति (₹157 करोड़) में हुई।
- कुल व्यय में राजस्व तथा पूँजीगत व्यय के हिस्से क्रमशः 80 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत थे, जो गत वर्ष के समान ही था। चालू वर्ष में राजस्व व्यय में वृद्धि राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से अधिक था।



कार्यकलाप के संदर्भ में, कुल व्यय की संरचना में सामान्य सेवाओं पर ब्याज भुगतान सहित व्यय, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं, सहायतानुदान तथा ऋणों एवं अग्रिमों को समायुक्त माना जा सकता है। व्यय के इन घटकों के पारस्परिक अंश का संचालन चार्ट 1.8 यह प्रदर्शित करता है कि कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं के अंश 2005-06 के 33 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 36 प्रतिशत हो गया, यह वर्ष 2009-10 के दौरान 35 प्रतिशत कम हो गया था।

कुल व्यय में आर्थिक सेवाओं का अंश 19 प्रतिशत (2005-06) से बढ़कर 2006-07 में 32 प्रतिशत हो गया और 2009-10 तक स्थिर रहा। इन वर्षों के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों की अदायगी आठ प्रतिशत से घटकर दो प्रतिशत रह गयी। जबकि सहायतानुदान के पारस्परिक अंश में इस वर्ष के दौरान 0.01 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, सामान्य सेवाओं में कुल व्यय (2005-06) की 40 प्रतिशत से वर्ष 2008-09 के दौरान 30 प्रतिशत की कमी आयी, परन्तु वर्ष 2009-10 के दौरान 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार का प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन एवं रियायतों पर व्यय सम्मिलित होते हैं। तालिका 1.5 में वर्ष 2005-10 के दौरान इन अवयवों पर व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

तालिका 1.5. प्रतिबद्ध व्यय के अवयव

(₹ करोड़ में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी जिसमें से	5783.35 (32.42)	6061.21 (26.06)	6469.53 (22.93)	7545.61 (22.88)	9654	9658.74 (27.18)
गैर योजना शीर्ष	5152.79	5538.57	5914.81	6996	अनुपलब्ध	9001.42
योजना शीर्ष*	630.56	477.64	554.72	550	अनुपलब्ध	657.32
ब्याज अदायगियाँ	3649 (20.46)	3416 (14.80)	3707 (13.14)	3753 (11.38)	4170	3685.48 (10.37)
पेंशन पर व्यय	2456 (13.77)	2497 (10.82)	2789 (9.89)	3479.03 (10.55)	3782	4318.70 (12.16)
रियायतें	-	-	-	861.58 (2.61)	-	944.39 (2.66)

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता दिखाते हैं।

*योजना शीर्ष में केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी पर किया गया व्यय शामिल है।

स्त्रोत: बिहार सरकार के वित्त लेखे एवं बजट 2009-10

तालिका 1.5 तथा वित्तीय लेखों/बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आँकड़ों का विश्लेषण निम्नांकित है:

- गैर योजना शीर्ष के अंतर्गत गैर योजना राजस्व व्यय में निवल ब्याज भुगतान एवं पेंशन को कुल वेतन का 55.77 प्रतिशत था। यह बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा मानक 35 प्रतिशत से अधिक था।
- हालाँकि वर्ष 2009-10 में ब्याज भुगतान प्रक्षेपित व्यय ₹5324 करोड़ के अंतर्गत था, राजकोषीय सुधार पथ के प्रक्षेपित व्यय ₹3794 करोड़ से पेंशन भुगतान ₹4318.70 करोड़ पर अधिक था।
- ₹944.39 करोड़ राहत अनुदान दी गयी, जिसमें ₹840 करोड़ राहत अनुदान बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को संसाधनों के आभाव की प्रतिपूर्ति के लिए दी गई। यह राशि वर्ष 2008-09 में दी गई राशि की तुलना में ₹120 करोड़ अधिक थी।
- वेतन वृद्धि का मुख्य कारण जनवरी 2010 से छठें वेतन आयोग की अनुशंसा का क्रियान्वयन था।

1.5 व्यय की गुणवत्ता

जीवन स्तर सुधारने हेतु कोई व्यय, चाहे वह आधारभूत संरचना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य में सुधार हो, राज्य में सामान्यतः साकारात्मक व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। यह व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन अवयवों पर निर्भर करती है जैसे व्यय की पर्याप्तता, व्यय के उपयोग की दक्षता एवं व्यय की प्रभावकारिता/उपर्युक्त आधार पर व्यय गुणवत्ता का लेखा परीक्षा मूल्यांकन निम्नांकित है:

1.5.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

ज्योंहि राज्य सकल घरेलु उत्पाद में वृद्धि होती है, राज्य सरकार अपना कर तथा करेत्तर आधार/दर बढ़ा सकती है जिससे वार्षिक बजट के निधि में वृद्धि हो सके।

अतः वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक के बिहार के लोक व्यय की तुलना अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों से करना प्रासंगिक होगा। ऐसी तुलना यह प्रदर्शित करती है कि बिहार ने विचाराधीन दोनों वर्ष 2005-06 (बारहवें वित्त आयोग पुरस्कार अवधि का प्रथम वर्ष) की तुलना में 2009-10 (पुरस्कार अवधि का अंतिम वर्ष) में राज्य सकल घरेलू उत्पाद का अधिक मात्रा समस्त व्यय पर खर्च किया है। विकास व्यय, जिसमें आर्थिक क्षेत्र व्यय तथा सामाजिक क्षेत्र व्यय समाहित है, में मानव पूँजी संरचना में वृद्धि करने की क्षमता है जिससे भविष्य में अच्छा विकास होगी। सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत संरचना से संबंधित व्यय दायित्वों को बड़े पैमाने पर राज्य सरकार को सौंपा जाता है। मानवीय विकास स्तरों में वृद्धि हेतु राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सदृश सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। तथापि, इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा किये गए निम्न स्तर के व्यय के कारण निम्न राजकोषीय प्राथमिकता अथवा राज्य सरकार की निम्न राजकोषीय क्षमता के अथवा एक साथ दोनों कारणों से हो सकता है।

तालिका 1.6 राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता एवं क्षमता 2005-06 एवं 2009-10 में

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	एई/ जीएसडीपी	डीई/ एई	एसएसई एई	सीई/ एई	शिक्षा/ एई	स्वास्थ्य/ एई
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2005-06	17.75	61.76	30.76	13.97	14.95	4.05
बिहार राज्य का औसत (अनुपात) 2005-06	27.20	60.15	33.31	9.65	20.49	4.70
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2009-10	18.24	66.05	35.76	14.85	16.21	4.28
बिहार राज्य का औसत (अनुपात) 2009-10	26.32	69.15	35.06	17.96	18.99	3.70

एई: कुल व्यय, डी ई: विकास व्यय, एस एस ई: सामाजिक क्षेत्र व्यय

सी ई: पूँजीगत व्यय

व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय तथा वितरित किये गये ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

स्त्रोत: जी एस डी पी के लिए राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय से सूचना संग्रहित की गई थी।

तालिका 1.6 वर्ष 2005-06 (बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) के पुरस्कार अवधि का प्रथम वर्ष) तथा चालू वर्ष 2009-10 (बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) पुरस्कार अवधि का अंतिम वर्ष) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय प्राथमिकता के विभिन्न वर्गों के व्यय को प्रदर्शित करता है।

- 2005-06 से 2009-10 में, बिहार सरकार ने कुल व्यय (एई) एवं सामाजिक क्षेत्र को देश में अन्य राज्यों की तुलना में पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता दी क्योंकि कुल व्यय/जी एस डी पी एवं सामाजिक क्षेत्र व्यय/कुल व्यय बिहार के मामले में सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक था। डी ई/ए ई अनुपात जो कि वर्ष 2005-06 में सामान्य श्रेणी के राज्यों के अनुपात से निम्न था, वर्ष 2009-10 में ठोस वृद्धि हुई। इसी प्रकार वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य द्वारा जो कुल व्यय की पूँजीगत व्यय पर प्राथमिकता दी गई वह केवल 9.65 प्रतिशत था, जिसके विरुद्ध सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत 13.97 प्रतिशत था परन्तु इसमें 2009-10 में 17.96 प्रतिशत की ठोस वृद्धि हुई, जिसके विरुद्ध सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत 14.85 प्रतिशत था। पूँजीगत व्यय पर बढ़ी प्राथमिकता के फलस्वरूप

संपत्ति सृजन तथा बिहार का द्रुत विकास हो सकता था बशर्ते दिये गये वांछित समय में आर्थिक लागत को भौतिक परिणाम में बदला जाता।

- वर्ष 2009-10 के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के अलावे राज्य ने सामाजिक क्षेत्र व्यय (एस एस ई) शिक्षा क्षेत्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्र को पर्याप्त प्राथमिकता दी है। 2009-10 के दौरान राज्य का स्वास्थ्य पर औसत व्यय मात्र 3.70 प्रतिशत था जबकि इसके विरुद्ध सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत 4.28 प्रतिशत था। इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार सामाजिक, शिक्षा, एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में वृहद राजकोषीय प्राथमिकता दे, क्योंकि यह विचारणीय है कि बिहार का विकास स्तर इन क्षेत्रों में काफी नीचे है (परिशिष्ट 1.1)।

1.5.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

चूँकि राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए विकासात्मक शीर्षों पर व्यय बहुत महत्वपूर्ण है, यह आवश्यक है कि राज्य सरकार सचेत, प्राथमिकता पर आधारित तथा तर्कसंगत उपाय लोक व्यय के लिए करें। उपर्युक्त व्यय के तर्कसंगत एवं कोर पब्लिक गुड्स एवं मेरिट गुड्स⁶ के प्रावधानों पर जोर देना महत्वपूर्ण होगा। इसके बदले में, यह विकास व्यय⁷ की ओर आवंटन को सुधारेगा, विशेषकर हाल के वर्षों में ऋण वितरण में कमी से विशेष रूप से राजकोषीय अंतर बढ़ जाने के कारण।

पूँजीगत व्यय के अनुपात से कुल व्यय (और/या जी एस डी पी) तथा वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण पर राजस्व व्यय के अनुपात के द्वारा व्यय उपयोग की दक्षता भी प्रतिबिंबित होती है। इन अवयवों और कुल व्यय (एवं/या जी एस डी पी) का अनुपात के उच्चतर होने से व्यय की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

तालिका 1.7 2005-10 के दौरान राज्य के कुल व्यय की अपेक्षा विकास व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है जबकि तालिका 1.8 2009-10 के दौरान चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर किये गए राजस्व व्यय के अवयवों तथा पूँजीगत व्यय का ब्योरा प्रदान करता है।

⁶ कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सार्वजनिक रूप में इस तरह उपयोग में लाते हैं कि व्यक्ति द्वारा इसके उपयोग और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस के उपयोग से कोई अन्तर नहीं पड़ता है जैसे विधि-व्यवस्था का लागू होना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं अन्य पर्यावरण संबंधी सामान तथा सड़क संचरना आदि।

मेरिट गुड्स वे सौदा हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा अनुदानित दरों पर मुहैया करता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा सोसाइटी को उन्हें अपनी आवश्यकता क्षमता और इच्छा के आधार पर लेना होगा जबकि सरकार को इसके लिए भुगतान करना होगा और इसलिए भुगतान करना होगा जब वह इनके उपयोग को बढ़ाना चाहती है। ऐसे सामानों में गरीबों के लिए मुफ्त या अनुदानित दरों पर पौष्टिक आहार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और बिमारियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुपुर्दगी, सभी को बुनियादी शिक्षा, पेय जल एवं स्वच्छता आदि शामिल हैं।

⁷ व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर - विकास व्यय के रूप में अलग - अलग किया गया है। राजस्व लेखा से संबंधित सभी व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिमों को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाएँ की श्रेणियों में रखा गया है। विस्तृत रूप में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में विकास संबंधी व्यय, जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर-विकास व्यय माना गया है।

तालिका-1.7: कुल व्यय से संबंधित विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के अवयव	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
विकास व्यय (क से ग तक)					
क. विकास राजस्व व्यय	9229 (42.75)	11938 (45.72)	14306 (47.78)	17978 (50.64)	20274 (49.68)
ख. विकास पूँजीगत व्यय	2012 (9.32)	5056 (19.36)	5881 (19.64)	6230 (17.55)	7058 (17.29)
ग. विकास ऋण एवं अग्रिम	1744 (8.08)	308 (1.18)	265 (0.89)	544 (1.53)	890 (2.18)

कोष्ठकों में दिया गया आँकड़ा कुल व्यय की प्रतिशतता इंगित करता है।

(स्रोत: बिहार सरकार का वित्त लेखे)

विकासात्मक राजस्व व्यय वर्ष 2005-06 में 43 प्रतिशत से वर्ष 2008-09 में 51 प्रतिशत की लगातार वृद्धि हुई, परन्तु इसमें वर्ष 2009-10 के दौरान 50 प्रतिशत की कमी आई। विकासात्मक पूँजीगत व्यय 2005-06 में नौ प्रतिशत से 2007-08 में 20 प्रतिशत तक वृद्धि प्रदर्शित करती है, परन्तु इसमें वर्ष 2009-10 के दौरान 17 प्रतिशत की गिरावट रही। ऋण तथा अग्रिम पर विकास व्यय में 2005-06 में आठ प्रतिशत से 2006-08 में एक प्रतिशत तक की गिरावट रही फिर इसमें 2008-09 तथा 2009-10 में दो प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तालिका 1.8 : चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशतता)

सामाजिक/आर्थिक आधारभूत संरचना	2008-09		2009-10	
	पूँजीगत व्यय से कुल व्यय का अंश	राजस्व व्यय में अंश वेतन एवं मजदूरी का	पूँजीगत व्यय से कुल व्यय का अंश	राजस्व व्यय में अंश वेतन एवं मजदूरी का
सामाजिक सेवाएं (एस एस)				
सामान्य शिक्षा	01	67.64	3.88	73.33
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	08	61.23	7.99	66.21
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	12	9.85	24.42	11.28
कुल (एस एस)	05	32.46	7.85	38.67
आर्थिक सेवाएं (ई एस)				
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	01	20.42	0.07	26.19
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	62	58.61	60.05	68.80
विद्युत एवं ऊर्जा	36	-	30.23	-
परिवहन	83	27.83	81.59	22.55
योग (ई एस)	52	21.27	49.08	22.87
योग (एस एस+ई एस)	28	28.89	28.18	33.14

टी ई: कुल व्यय, सी ई: पूँजीगत व्यय, आर ई: राजस्व व्यय एस एवं डब्ल्यू: वेतन एवं मजदूरी

(स्रोत: बिहार सरकार का वित्त लेखा)

तालिका 1.8 : प्रदर्शित करती है कि सामाजिक सेवाएँ क्षेत्र पूँजीगत व्यय से कुल व्यय की प्रतिशतता में वृद्धि हुई। इस तथ्य के आलोक में कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है, कृषि तथा संबद्ध गतिविधियाँ, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, विद्युत एवं ऊर्जा तथा यातायात के पूँजीगत व्यय में कमी होना स्वस्थ लक्षण नहीं है। वेतन तथा मजदूरी के मामलों में परिवहन क्षेत्र के अलावा वर्ष 2009-10 के

दौरान राजस्व व्यय में वेतन तथा मजदूरी के प्रतिशतता में वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण छठे वेतन आयोग का क्रियान्वयन था।

1.6 सरकारी व्यय एवं निवेश का विश्लेषण

वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लागू होने के बाद राज्य से यह आशा की जाती है कि वह अपने राजकोषीय घाटे (और उधार) को न केवल न्यून स्तर पर रखे बल्कि अपना पूँजीगत व्यय/निवेश (ऋण एवं अग्रिमों के साथ) को भी पूरा करें। इसके अतिरिक्त बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त लाभ अर्जित करने के लिए एवं उधार निधि के अपने व्यय की वापसी के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है न कि उसे अपने बजट में निहित आर्थिक सहायता के रूप में देने और वित्तीय कार्यवाही में पारदर्शिता दर्शाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। यह भाग चालू वर्ष यथा पूर्व वर्षों के दौरान राज्य सरकार के निवेशों एवं अन्य पूँजी व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

1.6.1 अपूर्ण परियोजनाएं

तालिका 1.9 में विभाग वार 31 मार्च 2010 तक के अपूर्ण परियोजनाओं की सूचना दी गई है। सम्मिलित रूप से, 288 योजना/परियोजना⁸ (अनुमानित लागत ₹ 2433.34 करोड़) मार्च 2010 तक पूर्ण होना था परन्तु वे अपूर्ण रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 940.81 करोड़ अवरुद्ध हो गया। साथ ही, जल संसाधन परियोजना के अधीन चार पूर्ण योजना/परियोजना⁸ में लागत की अधिकता वास्तविक अनुमान से ₹ 2.67 करोड़ की सीमा को पार कर गई।

तालिका 1.9: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	31.03.2010 को संचित वास्तविक व्यय
भवन निर्माण विभाग	8	66.29	30.21
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	62	191.24	116.02
पथ निर्माण विभाग	93	617.21	355.66
ग्रामीण कार्य विभाग	20	150.40	97.35
जल संसाधन विभाग	105	1408.20	341.57
कुल	288	2433.34	940.81

(श्रोत: बिहार सरकार के वित्त लेखे)

1.6.2 निवेश एवं वापसी

31 मार्च 2010 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में ₹ 856.18 करोड़ का निवेश किया था, जो कि तालिका 1.10 में प्रदर्शित किया गया है।

8

- बागमती तटबंध का विस्तार, सीतामढ़ी (₹ 18.31 करोड़) ₹ 20.19 करोड़
- पश्चिमी कोशी मुख्य नहर नेपाल अंश, सुपौल (₹ 5.33 करोड़) ₹ 5.75 करोड़ का जीर्णोद्धार
- पश्चिमी कोशी मुख्य नहर नेपाल अंश, सुपौल (₹ 4.12 करोड़) ₹ 4.15 करोड़ का जीर्णोद्धार
- बुद्धी गंडक मुजफ्फरपुर के बाँए तटबंध को उँचा करना तथा मजबूत बनाना (₹ 16.17 करोड़) ₹ 6.51 करोड़

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें अनुमानित व्यय को दर्शाते हैं।)

तालिका 1.10 : निवेश पर वापसी

(₹ करोड़ में)

निवेश/वापसी/ऋणों पर लागत	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	805.64	821.10	828.68	832.18	856.18
वापसी (₹ करोड़ में)	0.04	0.04	3.19	2.14	2.06
वापसी (प्रतिशत)	0.00	0.00	0.38	0.26	0.24
सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	8.20	7.15	7.15	7.93	6.48
ब्याज दर और वापसी का अंतर (प्रतिशत)	8.20	7.15	6.77	7.67	6.24

(स्रोत: वित्त लेखे, बिहार सरकार)

राज्य सरकार ने ₹ 856.18 करोड़ का निवेश किया था यथा तीन सांविधिक निगमों में ₹ 105.63 करोड़, सरकारी कम्पनी/ग्रामीण बैंक में ₹ 374.17 करोड़, संयुक्त पूँजी कम्पनियों में ₹ 3.88 करोड़ तथा सहकारी संस्थानों/समितियों में ₹ 372.50 करोड़ का निवेश किया गया था। सरकार द्वारा ₹ 24.00 करोड़ का निवेश इस वर्ष किया गया जिसमें ₹ 23.00 करोड़ सरकारी कम्पनियों/ग्रामीण बैंक में किया गया।

वर्ष 2005-07 में ₹ 805.64 करोड़ तथा ₹ 821.10 करोड़ के बीच के निवेश के विरुद्ध मात्र ₹ 0.04 करोड़ प्रति वर्ष की वापसी थी। वर्ष 2007-08 में यह वापसी ₹ 3.19 करोड़ (निवेश ₹ 828.68 करोड़ तक बढ़ गई), परन्तु वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान इसमें ₹ 832.18 करोड़ तथा ₹ 856.18 करोड़ के निवेश के विरुद्ध क्रमशः ₹ 2.14 करोड़ तथा ₹ 2.06 करोड़ की गिरावट हुई।

1.6.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश करने के अतिरिक्त सरकार कई संस्थानों एवं संगठनों को भी ऋण एवं अग्रिम धन राशि दे रही है। तालिका 1.11 बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति को तथा विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज प्राप्ति यथा ब्याज के भुगतानों को दर्शाती है।

तालिका 1.11 राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्ति/ऋण लागत की मात्रा	2007-08	2008-09	2009-10
पूर्व शेष	13881.56	14128.10	14667.83
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	272.70	551.05	896.78
वर्ष के दौरान वापसी राशि	26.16	11.32	13.20
अंत शेष	14128.10	14667.83	15551.41
जिसमें से बकाया जिनकी शर्तें नियत की गई हैं			
निवल योग	246.54	539.73	883.58
ब्याज प्राप्ति	170.71	304.57	353.27
बकाये ऋण एवं अग्रिम के ब्याज प्राप्ति की प्रतिशतता	1.21	2.08	2.27
राज्य सरकार के बकाया वित्तीय दायित्व ब्याज के भुगतान की प्रतिशतता	7.27	6.83	6.28
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्ति का अंतर (प्रतिशत)	6.06	4.75	4.01

(स्रोत: वित्त लेखे, बिहार सरकार)

वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 896.78 करोड़ के कुल सरकारी ऋण का वृहत प्राप्तकर्ता [₹ 626.25 करोड़ (69.83 प्रतिशत)], विद्युत परियोजनाएँ थी। साथ ही, इस क्षेत्र के कुल ₹ 15551 करोड़ बकाया ऋण में ₹ 12916 करोड़ ऋण लंबित थे। इसका कारण यह था कि सरकार उर्जा क्षेत्र को ऋण एवं अग्रिम बिना उसके वापसी और भुगतान क्षमता (मूलधन और ब्याज) के दे रही थी। इन ऋणों एवं अग्रिमों के अलावा, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ₹ 840 करोड़ की सब्सिडी (अनुदान) दी गई।

1.6.4 नगद शेष एवं नकद शेष का निवेश

तालिका 1.12 में नकद शेष तथा राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के दौरान उपलब्ध नकद शेष का निवेश चित्रित है।

तालिका 1.12: नकद शेष एवं नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2009 को	31 मार्च 2010 को	वृद्धि/कमी
नकद शेष	-740.06	-2536.45	-1796.39
नकद शेष से निवेश (क से घ)	3978.90	4347.04	368.14
क. भारत सरकार के ट्रेजरी बिल	0.00	0.00	0.00
ख. भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	3974.24	4342.39	368.15
ग. अन्य राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	4.66	4.65	-0.01
घ. अन्य निवेश	0.00	0.00	0.00
तारांकित शेष (क से ग) से निवेश का निधिवार विखण्डन	140.0961	280.10	140.00
क. अकाल राहत कोष	0.10*	0.10*	0.00
ख. निक्षेप निधि	140.00	280.00	140.00
ब्याज प्राप्ति	249.64	327.48	77.84
* वृद्धि नहीं, 0.0961 पूर्णांक आँकड़ा स्वीकार्य (स्रोत: बिहार सरकार के वित्त लेखे)			

भारत का रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित अर्थोपाय अग्रिम सीमा के अंतर्गत एक अप्रैल 2006 से बिहार सरकार के लिए ₹ 425 करोड़ की सीमा निर्धारित की गई। साथ ही रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के प्रतिभूति पर राज्य सरकार को विशेष अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध कराये थे। वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य सरकार का शेष न्यूनतम कायम रहा तथा वर्ष भर कोई अग्रिम सहायता नहीं दी गई। सरकार ने कोई भी अर्थोपाय अग्रिम 2006 से उपलब्ध नहीं कराई है, जो राज्य स्तर पर प्रभावकारी नकद व्यवस्था को दर्शाती है।

साथ ही, राज्य सरकार ने भारत सरकार प्रतिभूतियों (₹ 4342.39 करोड़) तथा अन्य राज्य सरकार (₹ 4.65 करोड़) प्रतिभूतियों पर 31.03.2010 को निवेश किया।

1.7 परिसंपत्ति एवं देनदारी

1.7.1 परिसंपत्ति एवं देनदारी की रचना एवं वृद्धि

सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली में सरकार की भूमि और भवन जैसी निर्धारित परिसंपत्ति के विस्तृत लेखा को शामिल नहीं किया जाता है। फिर भी सरकारी लेखे में सरकार की वित्तीय देनदारी तथा खर्च करके परिसंपत्ति सृजित करने का व्यय

शामिल होता ही है। परिशिष्ट 1.7 में 31 मार्च 2010 तक की ऐसी परिसंपत्ति एवं देनदारी का सार दिया गया है। हालांकि इस परिशिष्ट में दर्शायी गई देनदारी में मुख्यतः आंतरिक ऋण, भारत सरकार से लिए गए ऋण एवं अग्रिम राशि लोक लेखा से प्राप्तियाँ तथा आरक्षित निधि शामिल है, जबकि परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूँजी परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम धन तथा रोकड़ शेष शामिल होता है।

बिहार राजकोषीय दायित्व अधिनियम, (एफ आर बी एम) 2006, यह परिभाषित करता है कि राज्य की समग्र देनदारी की परिभाषा राज्य की संचित निधि एवं लोक लेखा के अंतर्गत आने वाली देनदारी के रूप में दी गई जिसमें केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम धन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के ऋण और विशेष उद्देश्य हेतु विशिष्ट उद्देशीय परिवहन (स्पेशल पर्पस वेहिकल्स) गारंटी जिनके मूलधन या ब्याज की देनदारी राज्य के बजट से ही की जाती हो, सम्मिलित है। राज्य की परिसम्पत्ति एवं देनदारी का लेखा परीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि राज्य के ₹ 2707 करोड़ की परिसम्पत्ति सृजन के विरुद्ध ₹ 5650 करोड़ की देनदारी में वृद्धि हुई जो राज्य की उधारियों पर विश्वास का सूचक है।

1.7.2 राजकोषीय दायित्व

वर्ष 2005-10 के दौरान राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्वों के प्रवृत्ति को तालिका 1.13 में दर्शाया गया है।


तालिका 1.13 : बकाया राजकोषीय दायित्व⁹

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
वर्ष (₹ करोड़ में)	46495	49089	50989	54977	58690
विकास दर	9.44	5.58	3.87	7.82	6.75


साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष यथा पूर्व के वर्षों के राजकोषीय दायित्वों की संरचना को चार्ट 1.9 तथा 1.10 में दर्शाया गया है।

⁹ बाजार ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत भविष्य निधि से प्राप्त ऋण तथा अन्य बाध्यता।

चार्ट 1.9 : 01.04.2009 को राजकोषीय दायित्वों की संरचना
(₹ करोड़ में)



चार्ट 1.10: 31.03.2010 को राजकोषीय दायित्वों की संरचना
(₹ करोड़ में)



जैसा कि परिशिष्ट 1.4 प्रदर्शित करता है कि राजकोषीय दायित्व का विकास दर में 7.82 प्रतिशत (2008-09) से 6.75 प्रतिशत (2009-10) की गिरावट रही तथा जी एस डी पी के प्रति राजकोषीय दायित्व को अनुपात में वर्ष 2009-10 के

दौरान 58.57 प्रतिशत (2005-06) से 37.85 प्रतिशत की कमी आ गई। वर्ष 2009-10 के अंत तक राज्य का दायित्व राजस्व प्राप्ति के 1.65 गुणा तथा राज्य के निजी संसाधन के 6.01 गुणा तक स्थिर रही। वर्ष के दौरान जी एस डी पी के संबंध में इन दायित्वों की उत्प्लावकता 0.77 थी। राजकोषीय देनदारी 2005-06 में ₹ 46495 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009-10 में ₹ 58690 करोड़ हो गई जिसमें आंतरिक ऋण वर्ष 2005-10 के दौरान 54 से 60 प्रतिशत के बीच रहा। सरकार द्वारा बढ़ाये गए ऋण के परिशमन के लिए राज्य सरकार ने एक निक्षेप निधि (2008-09) का गठन किया।

1.7.3 गारंटी की स्थिति-आकस्मिक देनदारी

आकस्मिक दायित्व प्रतिवर्ष राज्य सरकार सांविधिक निगम तथा बोर्डों, स्वायत्त निकायों सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों तथा सहकारी बैंक तथा समितियों को संप्रभु गारंटी प्रदान करती है। यदि उधार लेने वाले द्वारा ऋण की अदायगी नहीं की जाती है एवं गारंटी का विस्तार किया जाता है, गारंटी राज्य के संघित निधि पर आकस्मिक दायित्व होते हैं। तालिका 1.14 में विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य के द्वारा दी गई गारंटी की स्थिति दर्शायी गई है।

तालिका 1.14 सरकार द्वारा दी गई गारंटी

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2007-08	2008-09	2009-10
गारंटी की अधिकतम राशि	1537.73	1547.73	1547.73
गारंटी की लंबित राशि (पूँजी)	516.31	704.24	898.83
कुल राजस्व प्राप्ति से अधिकतम गारंटी राशि की प्रतिशतता	5.45 (28210)	4.69 (32981)	4.36 (35527)
कोष्ठक में आंकड़े राजस्व प्राप्तियां इंगित करते हैं ।			

(स्रोत: बिहार सरकार के वित्त लेखे)

तालिका 1.14 प्रदर्शित करती है कि 31 मार्च 2010 को ₹ 1547.73 करोड़ के कुल गारंटी के विरुद्ध लागू ब्याज समेत बकाया ₹ 898.83 करोड़ था। इस वर्ष के दौरान गारंटी राशि में ₹ 194.59 करोड़ की वृद्धि का कारण बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को अतिरिक्त गारंटी दिया जाना था। किसी दायित्व से मुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा तारांकित गारंटी शुल्क के जरिये गारंटी रेडेम्पशन फंड (गारंटी मोचन निधि) की स्थापना किया जाना अभी बाकी है।

1.8 ऋण निर्वाहता

ऋण निर्वाहता किसी राज्य सरकार के संपूर्ण आर्थिक स्थिति के निर्धारण एक महत्वपूर्ण प्रदर्शक है। ऋण निर्वाहता¹⁰ के निर्धारण में ऋण का महत्व, ऋण

¹⁰ किसी समयावधि तक ऋण और जीएसडीपी अनुपात को स्थिर रखने की सरकार की सामर्थ्य को निर्वाहता के रूप में परिभाषित किया गया है एवं इसमें ऋण चुकाने की सामर्थ्य भी शामिल है। ऋण की निर्वाहता इसलिए चालू या प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिए परिशोधित परिसंपत्ति की पर्याप्तता का भी जिक्र करता है एवं अतिरिक्त ऋण की लागत एवं ऐसे ऋणों से निवेश की बीच संतुलन बनाये रखने की क्षमता रखता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण को चुकाने की क्षमता में वृद्धि के बराबर होनी चाहिए।

स्थिरता¹¹ गैर ऋण प्राप्ति की यथेष्टता¹², उधार कोष की निवल उपलब्धता¹³, ब्याज भुगतान का बोझ (राजस्व प्राप्ति अनुपात ब्याज भुगतान) तथा बिहार सरकार के प्रतिभूति की परिपक्वता सम्मिलित है। इन सूचकों के आधार पर राज्य सरकार के ऋण की निर्वाहता वर्ष 2007-08 से तीन वर्षों के अवधि को तालिका 1.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.15: ऋण निर्वाहता : सूचक और प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण निर्वाहता के सूचक	2007-08	2008-09	2009-10
ऋण स्थिरता (परिमाण विस्तार+प्रारंभिक अधिशेष)	5925.05	10729.53	-226.39
गैर ऋण प्राप्ति की पर्याप्तता (संसाधन अंतर)	1318.00	-804.00	-1524
उधार निधियों की शुद्ध उपलब्धता	-1496.00	93	28
ब्याज भुगतान का भार (सूद भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.13	0.11	0.10
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा (वर्षों में)			
शून्य से एक वर्ष	27	23	7
एक से तीन वर्ष	12	12	12
तीन से पाँच वर्ष	14	14	10
पाँच से सात वर्ष	02	02	2
सात वर्ष से अधिक	-	05	9

(स्रोत: वित्त लेखे, बिहार सरकार)

वर्ष 2007-09 की अवधि में बढ़ते प्रारंभिक अधिशेष के विरुद्ध वर्ष 2009-10 के अवधि में राज्य को प्रारंभिक घाटे का सामना करना पड़ा। साथ ही वर्ष 2009-10 के दौरान चालू वर्ष में बढ़ती हुई गैर ऋण प्राप्ति बढ़ते हुए व्यय को पूरा नहीं कर सकी। अतः यदि आगामी वर्षों में यह अंतर बढ़ता है तो ऋण भुगतान एक समस्या बन सकती है। तथापि अन्य सूचक जैसे निवल उपलब्ध उधार निधि का धनात्मक होने एवं संचालनीय ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात भी यह दर्शाता है कि राज्य के ऋणों का पुर्नभुगतान कोई समस्या नहीं हो सकती है, बशर्ते कि प्रारंभिक घाटा तथा स्रोत अंतर में कमी लाने हेतु प्रभावकारी कदम उठाये जाए।

1.9 राजकोषीय असंतुलन

सरकारी लेखे में हानि इसके प्राप्ति और व्यय के बीच की दूरी दर्शाता है। एक बार यदि घाटा अस्तित्व में आये तो तीन मुख्य राजकोषीय मानक-राजस्व घाटा,

¹¹ स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त है कि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक हो, ऋण जी डी पी अनुपात स्थिर होने की संभावना है बशर्ते कि आरंभिक शेष या तो शून्य या धनात्मक या नाम मात्र ऋणात्मक हो। दिये गए दर विस्तार (जी एस डी पी वृद्धि दर-ब्याज दर एवं परिणाम विस्तार (ऋण * दर विस्तार), ऋण निर्वाहता की स्थिति दर्शाता है कि यदि आरंभिक घाटा के साथ परिमाण विस्तार शून्य है तो ऋण - जी एस डी पी अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः स्थिर रहेगा। दूसरी ओर यदि आरंभिक घाटा के साथ परिमाण विस्तार ऋणात्मक हो तो ऋण - जी एस डी पी अनुपात बढ़ेगा एवं धनात्मक मामले में ऋण जी एस डी पी अनुपात अंततः घटेगा।



¹² राज्य के बढ़ते हुए गैर ऋण प्राप्ति को तभी पर्याप्त माना जाएगा यदि बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों एवं बढ़ते हुए व्यय को पूरा कर सके। यदि आरंभिक व्यय एवं ब्याज दायित्व में वृद्धि के पूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्ति में वृद्धि हो सके तो ऋण निर्वाहता में आसानी हो सकती है।

¹³ उधार निधियों की निवल उपलब्धता - इस कुल ऋण प्राप्ति के ऋणमोचन अनुपात (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित किया गया है तथा यह ऋण मोचन एवं ऋण प्राप्ति का अनुपात प्रदर्शित करता है कि निवल उपलब्ध उधार निधियों को दर्शाते हुए किस मात्रा में ऋण विमोचन में ऋण प्राप्ति का उपभोग किया जाता है।

राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा-निर्धारित अवधि में राज्य सरकार के वित्त की संपूर्ण राजकोषीय असंतुलन को दर्शाते हैं। घाटा की प्रकृति सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का संकेतक है। आगे वे तरीके जिनके द्वारा घाटे का वित्त पोषण किया जाता है तथा स्रोत बनाए तथा प्रयोग में लाए जाते हैं, राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक होते हैं। यह भाग इन घाटे की प्रवृत्ति, विस्तार तथा वित्त पोषण के तरीके को व्यक्त करता है तथा राजस्व के वास्तविक स्तर के निर्धारण तथा राजकोषीय घाटा की तुलना में एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित निम्नांकित लक्ष्य को व्यक्त करता है :

1.9.1 घाटे की प्रवृत्ति

चार्ट 1.11 तथा 1.12 वर्ष 2005-10 की अवधि में घाटे सूचक की प्रवृत्ति को दर्शाता है।



राज्य को वर्ष 2005-06 से राजस्व अधिशेष का सामना करना पड़ रहा है। चार्ट 1.11 यह प्रदर्शित करता है कि वास्तविक अधिशेष में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 तथा वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 178 करोड़ तथा ₹ 1526 करोड़ की कमी आई। राज्य एफ0आर0बी0एम0/बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के बहुत पहले ही वास्तविक घाटा के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। राजकोषीय घाटा वर्ष 2008-09 में ₹ 2507 करोड़ से वर्ष 2009-10 में बढ़कर ₹ 5273 करोड़ हो गया तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद से इसका अनुपात बढ़कर 1.76 प्रतिशत से 3.40 प्रतिशत हो गया, जैसा कि चार्ट 1.12 में दर्शाया गया है। हालांकि राजकोषीय घाटा में वृद्धि 3.5 प्रतिशत के संशोधित सीमा के अंतर्गत था, तथापि यह एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम मानक के विरुद्ध था जिसके अनुसार राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद अनुपात प्रति वर्ष 0.3 प्रतिशत कम होना चाहिए। इस वर्ष के दौरान ₹ 1246 करोड़ (2008-09) का प्रारंभिक अधिशेष, ₹ 1588 का प्रारंभिक घाटे के रूप में परिवर्तित हुआ।

1.9.2 राजकोषीय घाटा तथा इसके वित्तपोषण प्रतिमान के घटक

चार्ट 1.11 प्रदर्शित करता है कि राज्य के राजस्व अधिशेष में वर्ष 2008-09 में ₹ 4469 करोड़ से वर्ष 2009-10 में ₹ 2943 की भारी गिरावट हुई। इसका मुख्य कारण गत वर्ष के मुकाबले राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2546 करोड़ (7.72 प्रतिशत) तथा राजस्व व्यय में ₹ 4072 करोड़ (14.28 प्रतिशत) वर्ष 2009-10 के दौरान राजस्व अधिशेष में ₹ 1526 करोड़ की गिरावट आई।

राजकोषीय घाटा का वित्तपोषण प्रतिमान के घटक तालिका 1.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.16 राजकोषीय घाटा तथा इसके वित्तपोषण प्रतिमान के घटक

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
	राजकोषीय घाटा का उपघटन	-3700.15	-3020.91	-1703.46	-2506.97	-5273.01
1	राजस्व घाटा/राजस्व अधिशेष	80.71	2498.14	4646.85	4469.11	2942.66
2	निवल पूंजीगत व्यय	-2083.90	-5211.13	-6103.78	-6436.35	-7332.09
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	-1696.96	-307.92	-246.53	-539.73	-883.58
	राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण प्रतिमान*					
1	बाजार ऋण	343.13	-412.72	-779.56	3757.12	2501.91
2	भारत सरकार से ऋण	-486.04	-314.15	39.75	-278.81	-49.35
3	एन एस एस एफ की विशेष प्रतिभूति	2446.59	2040.69	661.59	529.08	1472.52
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	485.92	-314.15	58.26	238.22	226.32
5	छोटी बचत, भविष्य निधि इत्यादि	365.02	395.05	268.40	144.41	-262.86
6	जमा और अग्रिम	414.56	869.48	1700.04	-690.52	-134.15
7	उद्यंत तथा विविध	-39.91	583.65	-2190.35	395.96	-290.89
8	प्रेषण	11.34	-63.14	618.30	-221.57	-54.82
9	अन्य	439.62	शून्य	-44.60	293.24	-41.69
	संपूर्ण अधिशेष/घाटा	298.88	97.01	-1371.62	1660.14	-1906.02

*ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान निवल से वितरण/वहिंगमन (श्रोत: बिहार सरकार के वित्त लेखे)

1.9.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटा से राजस्व घाटा का अनुपात तथा प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे में अपघटन तथा पूंजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिम सहित) राज्य वित्त के घाटे की गुणवत्ता इंगित करता है। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात चालू संघटन के लिए उधार नीति के उपयोग का प्रसार इंगित करता है। पुनः राजकोषीय घाटे राजस्व घाटों का लगातार उच्च अनुपात यह भी इंगित करता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार लगातार सिकुड़ती जा रही है तथा ऋण एक भाग (राजकोषीय दायित्व) किसी भी परिसंपत्ति से समर्थित नहीं था।

तालिका 1.17: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-कारकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) अधिशेष (+)	प्राथमिक घाटा (-) अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (3-6)	8 (2-6)
2005-06	17888	14107	2084 (12)	1748	17939	-3832	-51
2006-07	23090	17169	5211 (23)	315	22695	-5526	+395
2007-08	28236	19856	6104 (23)	272	26232	-6376	+2004
2008-09	32992	24759	6436 (20)	551	31746	-6987	+1246
2009-10	35540	28899	7332 (21)	897	37128	-8229	-1588

(स्रोत: बिहार सरकार के वित्त लेखे)

तालिका 1.17 प्राथमिक घाटे के विभाजन को प्रस्तुत करता है, जो पूंजीगत व्यय के कारण हुई घाटे के विस्तार को इंगित करता है, जो राज्य के अर्थव्यवस्था की उत्पाद क्षमता सुधारने हेतु वांछनीय है।

राजस्व लेखा के प्राथमिक व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य की गैर ऋण प्राप्ति पर्याप्त थी तथा वस्तुतः पूंजीगत लेखा के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए कुछ प्राप्ति बची रहती है। गैर ऋण प्राप्ति अधिशेष पूंजीगत लेखा के अंतर्गत आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था फलतः वर्ष 2005-06 तथा वर्ष 2009-10 में प्राथमिक घाटा हुआ। वर्ष 2006-09 के दौरान गैर ऋण प्राप्ति प्राथमिक व्यय से अधिक था फलतः इन वर्षों में प्राथमिक अधिशेष हुआ। तथापि वर्ष 2009-10 के दौरान पूंजी तथा ऋण एवं अग्रिम में हुई व्यय में वृद्धि के कारण ₹1588 करोड़ का प्रारंभिक घाटा हुआ।

1.10 टी एफ सी अधिनिर्णय के अवधि के दौरान राज्य का प्रदर्शन

टी एफ सी अधिनिर्णय वर्ष 2005-10 के दौरान राज्य के आर्थिक प्रदर्शन के कुछ मुख्य बिन्दु निम्नांकित हैं:

- बारहवें वित्त आयोग के 17.60 प्रतिशत अनुशंसा के विरुद्ध संयुक्त रूप से केन्द्र तथा राज्य के कर का अनुपात का परास सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति वर्ष 2005-10 के दौरान 16.75 तथा 17.61 प्रतिशत के बीच रहा।
- जी0एस0डी0पी0 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के 23 प्रतिशत प्रारंभिक व्यय के अनुशासित लक्ष्य के विरुद्ध, राज्य की उपलब्धि संतोषजनक थी तथा वर्ष 2005-10 के दौरान इसका परास 22.28 प्रतिशत से 23.95 प्रतिशत रहा।

- राज्य का पूँजीगत व्यय का वर्ष 2005-10 के दौरान 2.63 तथा 5.32 प्रतिशत के बीच रहा, परन्तु यह जी एस डी पी द्वारा अनुशांसित सात प्रतिशत के लक्ष्य को न प्राप्त कर सका।
- राज्य का ऋण (राजकोषीय दायित्व)– जी एस डी पी अनुपात पतन प्रवृत्ति दर्शाया, जिसमें 58.57 प्रतिशत (2005-06) से 37.85 प्रतिशत (2009-10) की गिरावट हुई। तेरहवें वित्तीय आयोग ने यह अनुशांसा दिया है कि सभी राज्य 2014-15 तक अपने राजकोषीय दायित्व जी एस डी पी के 25 प्रतिशत तक कम करें। बिहार सरकार को ऋण प्रबंध कौशल रणनीति आश्वस्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने होंगे ताकि इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।
- राज्य का राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 4.66 प्रतिशत से 1.76 प्रतिशत की कमी वर्ष 2005-09 के दौरान आई, परन्तु 2009-10 के दौरान यह 3.40 प्रतिशत बढ़ गया जो कि वर्ष 2008-10 के संशोधित सीमा 3.5 प्रतिशत के अंतर्गत था।
- राज्य का ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति के अनुपात में वर्ष 2005-06 के 20.46 प्रतिशत से वर्ष 2009-10 के दौरान 10.73 प्रतिशत की गिरावट आई, जो कि वर्ष 2009-10 के अनुशांसित सीमा 15 प्रतिशत के अंतर्गत था।
- पूरे टी एफ सी अधिनिर्णय के अवधि वर्ष 2005-10 के दौरान राज्य ने अधिशेष का लाभ लिया।
- राज्य सरकार पर सभी केन्द्रीय ऋण जो कि 31.03.2004 तक अनुबंधित थे तथा 31.03.2005 तक के बकाये को 20 वर्ष के नये अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत ब्याज दर पर सम्मिलित एवं पुनः अनुसूचित कर लिया गया। राज्य ने 'ऋण समाप्ति योजना' का भी लाभ लिया बशर्ते एफ आर बी एम अधिनियम का अधिनियमन हो तथा अधिनिर्णय अवधि के दौरान राजस्व घाटे में कमी लायी जाए। वर्ष 2007-08 तथा 2009-10 के दौरान प्रत्येक वर्ष ₹ 384.933 करोड़ की प्रति वर्ष छूट देते हुए दो चरणों में कुल राशि ₹ 769.87 करोड़ की ऋण समाप्ति कर दी गई।
- यद्यपि अधिनियम अवधि वर्ष 2005-10 के दौरान टी एफ सी के दौरान विभिन्न विशेष क्षेत्रों¹⁴ के लिए राज्य को ₹ 7531 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ, तथापि राज्य को वास्तविक मुक्त (प्राप्त) राशि मात्र ₹ 6794 करोड़ था। इसका कारण उन विशेष क्षेत्रों में गैर योजना राजस्व व्यय को निम्न विस्तार में लाने की शर्त को पूरा न करना था।
- साथ ही, अधिनिर्णय वर्ष 2005-10 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों (वन, विरासत संरक्षण तथा राज्य-विशेष आवश्यकताएँ) के अंतर्गत ₹ 446 करोड़ का अनुदान अनुशांसित किया गया जिसके विरुद्ध राज्य को केवल ₹ 339 करोड़ प्राप्त हुआ।

¹⁴ पंचायती राज, शहरी विकास, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य सड़क एवं पुल तथा भवन विभाग

- टी एफ सी के द्वारा राज्य के निजी कर राजस्व (₹ 32648 करोड़) तथा गैर कर राजस्व (₹ 5890 करोड़) के प्रक्षेपण के विरुद्ध वास्तविक प्राप्तियां ₹ 26943 करोड़ तथा ₹ 4382 करोड़ हुईं जिसके फलस्वरूप अधिनिर्णय वर्ष के दौरान क्रमशः ₹ 5707 करोड़ तथा ₹ 1508 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।
- अधिनिर्णय वर्ष के दौरान क्रमशः ₹ 18210 करोड़ तथा ₹ 15540 करोड़ का ब्याज तथा पेंशन भुगतान टी एफ सी मूल्यांकन क्रमशः ₹ 22799 करोड़ तथा ₹ 16347 करोड़ के अंतर्गत था।
- सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर गैर योजना राजस्व व्यय ₹ 27114 करोड़ तथा ₹ 7012 करोड़ के अनुशंसा के विरुद्ध वास्तविक ₹ 33987 करोड़ तथा ₹ 14186 करोड़ थे जो कि क्रमशः ₹ 6873 करोड़ तथा ₹ 6712 करोड़ ज्यादा थे जिससे यह प्रदर्शित होता है कि सरकार का विकास कार्य पर बल ज्यादा था।

1.11 निष्कर्ष

चालू वर्ष के दौरान, राजस्व अधिशेष ₹ 1526 करोड़ कम रहा क्योंकि राजस्व प्राप्ति का विकास 8 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष राजस्व व्यय का विकास 14 प्रतिशत था। यद्यपि राज्य के कर राजस्व में पिछले वर्ष के मुकाबले 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई, तथापि यह टी0एफ0सी0 (₹ 8240 करोड़) के मानक मूल्यांकन से ₹ 150 करोड़ कम था। तथापि गैर कर राजस्व प्राप्ति टी0एफ0सी0 द्वारा बनाये प्रक्षेपण से ₹ 52 करोड़ ज्यादा था। सभी राज्य करों के संदर्भ में संग्रहण का मूल्य वाणिज्यिक करों को छोड़कर सम्पूर्ण भारत के औसत से ज्यादा था। टी0एफ0सी0 अधिनिर्णय के दौरान राज्य के निजी कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के प्राप्ति में क्रमशः 17 एवं 26 प्रतिशत की कमी आई।

गैर योजना राजस्व व्यय में गत वर्ष से 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा टी0एफ0सी0 द्वारा किये गये प्रक्षेपण (₹ 19989 करोड़) से ₹ 4156 करोड़ अधिक था। योजना राजस्व व्यय में भी गत वर्ष से 16 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। गैर योजना शीर्ष के अंतर्गत वेतन तथा मजदूरी पर व्यय, ब्याज, भुगतान तथा पेंशन के एन0पी0आर0ई0 निवल की तुलना में 56 प्रतिशत था जो कि टी0एफ0सी0 द्वारा अनुशंसित 35 प्रतिशत से बहुत ज्यादा था। पूँजीगत व्यय में पिछले वर्ष से इस वर्ष के दौरान 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य का पूँजीगत व्यय का परास टी0एफ0सी0 अधिनिर्णय अवधि के दौरान 2.63 से 4.73 प्रतिशत के बीच रहा तथा यह अनुशंसित जी0एस0डी0पी0 के सात प्रतिशत को प्राप्त नहीं कर पाई।

वर्ष 2005-10 के दौरान राज्य सरकार द्वारा की गई निवेश की वापसी का परास ₹ 0.04 करोड़ से ₹ 3.19 करोड़ के बीच रहा। ऋण तथा अग्रिम का वितरण वापसी तथा ब्याज सुनिश्चित किए बगैर किया गया जिसके फलस्वरूप मार्च 2010 तक ₹ 15551 करोड़ बकाया था।

इस वर्ष के दौरान भारत सरकार सीधे ₹ 5182 करोड़ राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को हस्तान्तरित किया। राज्य बजट से अधिक ऐसे निधि का हस्तान्तरण से क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा असंगत प्रयोग का खतरा था, क्योंकि ऐसे व्यय राज्य वित्त कोष द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत किये गए के मासिक लेखों में प्रदर्शित नहीं हुए।

1.12 अनुशंसाएँ

- यद्यपि राजकोषीय घाटे में वृद्धि संशोधित सीमा 3.5 प्रतिशत के अंतर्गत था, तथापि यह एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, जिसके अनुसार जी0एस0डी0पी0 के प्रति राजकोषीय घाटा प्रतिवर्ष 0.3 प्रतिवर्ष कम होना चाहिए के मानक के विरुद्ध है। सरकार को इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कदम बढ़ाने चाहिए।
- गारण्टी शुल्क द्वारा वित्तपोषित एक गारण्टी रेडेम्पशन फंड की स्थापना तुरंत सरकार द्वारा की जानी चाहिए। यह इस निधि से प्रत्याभूत राशि के समय पर पुर्नभुगतान को आश्वस्त करेगा।
- इस वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे विमुक्त की गई निधि से एक महत्त्वपूर्ण व्यय राशि की स्थापना हुई। तथापि, राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों के पास समरूप लेखा प्रक्रिया अथवा इन निधि के प्रयोग संबंधी प्रतिवेदित विज्ञप्ति का अभाव था। चूंकि वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से प्रयोग में लाई गई निधि के राशि के संबंध में कोई निश्चितता नहीं है, आवश्यक है कि राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा ऐसे व्यय का समय-समय पर अनुश्रवण कराई जाए।
- यह अति आवश्यक है कि राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय निधि के सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों में स्थानान्तरण के बेहतर अनुश्रवण हेतु पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता संस्थापित की जाए।
- राज्य सरकार को यह आश्वस्त करना चाहिए कि केन्द्र सरकार अथवा अन्य स्रोत से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम का मूलधन तथा ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु पर्याप्त निधि उपलब्ध हो।
- परिसम्पत्ति के ह्रास को रोकने हेतु यह आवश्यक है कि ऋण पर विश्वास को कम किया जाए।